

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 12, मार्च-2021,

-संशोधित आदेश-

मुख्यालय के आदेशांक-426/2021 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झांसी पीठ के युगल पीठ से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु सदस्य पीठ-1, कानपुर एवं सदस्य पीठ-2, लखनऊ की युगल पीठ दिनांक 15.03.2021 से दिनांक 20.03.2021 तक गठित की गयी थी।

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अवकाश पर चल रहे हैं तथा उनका कार्य सदस्य पीठ-2, लखनऊ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

अतः श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ के स्थान पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर को नामित किया जाता है।

खण्डपीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/12.03.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/ 1030 /2021, तद्विनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ, झांसी एवं पीठ-4, कानपुर।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

  
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।